

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-385/2025

बलजीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. जसप्रीत सिंह दत्तक पुत्र श्री चुहड सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. पुरुषोत्तम सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है वं डिग्री दी जाती है:- वादी के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 बी. जी.पी. के एकल खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.151 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 1.012 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार घोषित कर वादी का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से चक 2 आर.टी.पी. के खाता सं. 23/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.378 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार काप्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का 1.012 है. हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 0.253 है. हिस्सा कम किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

- (क) वादी बलजीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाप्त की कृषि भूमि:-
चक 11 बी.जी.पी. खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
190/149 13 1/2/0.127 है., 11,20,21/0.253 है.प्र.
कुल 0.886 है. कृषि भूमि
चक 2 आर.टी.पी. खाता सं. 23/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
195/166 47 1/0.253 है., 2/1/0.240 है., 2/2/0.013 है.,
3/1/0.063 है., 3/2/0.025 है., 4/0.013 है.,
8/1/0.025 है., 8/2/0.005 है., 9/1/0.038 है.,
9/2/0.020 है., 12/0.013 है.
195/165 43 19,22/0.253 है.प्र.,
23/1/0.051 है.(किला की पच्छिमी दिषा में)
कुल 1.265 है. कृषि भूमि

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(ख) प्रतिवादी सं. 1 जसप्रीत सिंह दत्तक पुत्र श्री चुहड सिंह(1.012 है.) प्रतिवादी सं. 2 पुरुषोत्तम सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह(0.253 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-
चक 11 बी.जी.पी. खाता सं. 66/17 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
190/150	20	6,7/0.253 है.प्र., 14/0.063 है., 15/0.064 है.
191/150	19	9,10/0.253 है.प्र., 11/1/0.063 है.

कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 जसप्रीत सिंह दत्तक पुत्र श्री चुहड सिंह(0.177 है.) प्रतिवादी सं. 2 पुरुषोत्तम सिंह पुत्र श्री सरदूल सिंह(0.936 है.) समस्त जाति जटसिख निवासीगण भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-

चक 2 आर.टी.पी. खाता सं. 23/46 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
195/165	43	9,11,12/0.253 है.प्र., 23/1/0.189 है.(किला की पूर्वी दिषा में), 23/2/0.051 है., 24/1/0.089 है., 24/2/0.025 है.

कुल 1.113 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2023 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया